

July 11, 2026

To,
The Manager,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai-400051

The Manager,
BSE Limited,
25th Floor, P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Symbol: SATIN**Scrip Code: 539404**

Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisements for 36th Annual General Meeting (“AGM”) and e-Voting information

Dear Sir/Madam,

In continuation of our letter dated July 10, 2026, we enclose herewith copies of the Newspaper Advertisements published on July 11, 2026 in Business Standard (English & Hindi) with respect to:

- i. Completion of dispatch of notice of the AGM and Integrated Annual Report for Financial Year 2025-26; and
- ii. E-Voting information relating to the AGM.

We request you to take the same on records.

Thanking You.

Yours faithfully,
For Satin Creditcare Network Limited

(Vikas Gupta)
Company Secretary & Chief Compliance Officer

Encl: A/a

कोसो फर्स्ट लिमिटेड

पंजी. कार्या.: प्रथम तल, उप्पल प्लाजा, एम-6, जसोला खिरिद्र कन्वेंटर, नई दिल्ली-110025
IN: L92114DL1984PLC008355, फोन नं 011-49494949
Investor:cosmofirst@cosmofirst.com; वेबसाइट: www.cosmofirst.com
सूचना

- एन.द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 05 अगस्त, 2026 को अप. 3:00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंस (“वीसी”)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (“आर्पीएम”) सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जसमें सामान्य परिचय सं. 14/ 2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/ 2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 20/ 2020, दिनांक 5 मई 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिचय, जिसमें सरसे नवीनता 22 सितंबर, 2025 का परिचय 03/ 2025 और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में 20 मई, 2026 की बैठक की सूचना में निर्धारित कामकाज का निष्पादन होगा।
- उपरोक्त परिचयों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/ डिजिटली प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं और उन सदस्यों को भी ई-मेल पता कंपनी/ डिजिटिजली प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं है उन्हें कंपनी की वेबसाइट का सही वेब-लिनक, जहां से वित्तीय वर्ष 2025–26 की वार्षिक रिपोर्ट एक्सेस की जा सकती है, प्रदान करते हुए पत्र भेजा जाएगा।
- कंपनी ने 49वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दर्शाए गए सभी व्यवसाय(ों) के निष्पादन के लिए सेट्टल डिजिटिजली सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के प्लेटफॉर्म पर ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान की है। सदस्यगण बैठक के स्थल के अलावा किसी भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (“रिमोट ई-वोटिंग”) का उपयोग कर अपना वोट दे सकते हैं। रिपोर्ट ई-वोटिंग सुविधा सविचार, 02 अगस्त, 2026 को प्रातः 09:00 बजे से शुरू होगी और मंगलवार, 04 अगस्त, 2026 को प्रातः 5:00 बजे समाप्त होगी। इस तिथि व समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
- कोई भी व्यक्ति जिनके नाम अंतिम तिथि अर्थात् बुधवार, 29 जुलाई, 2026 तक सदस्यों के रजिस्टर/लामार्थी स्वामी में शामिल हैं केवल वही बैठक में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन वह दोबारा बैठक में अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे।
- कोई भी व्यक्ति जिनके पास शेयर हैं और सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं, वह कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट मेसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, 4ई/ 2, अलंकित हाउस, झंडेवाला न एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110065 से रिमोट ई-वोटिंग हेतु यूनजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूनजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है जो कंपनी की वेबसाइट www.cosmofirst.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानि बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.evotingindia.com> पर उपलब्ध है।
- ई-वोटिंग का नतीजा कंपनी की वार्षिक आम बैठक का या उसके बाद घोषित किया जाएगा। निरीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम सदस्यों की जानकारी के लिए स्टॉक एक्सचेंज(ों) को सूचित किये जाने के साथ साथ कंपनी तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर दर्शाये जायेंगे।
- सूचना तथा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.cosmofirst.com पर दर्शायी जायेगी। यदि एजीएम में आम लेने और ई-वोटिंग के संबंध में आपकी कोई शंका या समस्या है तो आप www.evotingindia.com पर सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध बुध्दा पूछे जाने वाले प्रश्न (“एफएक्यू”) तथा ई-वोटिंग मैनुअल के देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdsindia.com पर ईमेल कर सकते हैं या टोल फ्री नं 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों द्वारा मतदान करने की सुविधा से संबंधी किसी शिकायत के मामले में कृपया श्री राकेश दलवी, एजीएम, सीडीएसएल, ए विंग, 25वां तल, मेरूथान फ्यूचरएक्स, मफतालम मिल कम्पाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर फ्लोर (ईस्ट) मुम्बई-400013 से संपर्क करें।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अंतिम लामार्थी के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के निर्देशों विधुधवार, 22 जुलाई 2026 है, जिसका भूतगत जानकारी की 49वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित होने पर 04 सितंबर 2026 को या उससे पहले किया जाएगा।

कृते कोसो फर्स्ट लिमिटेड

हस्ता./—
कंपनी सचिव
जयदीप दीक्षित
दिनांक: 10.07.2026

	
--	---

पंजीकृत कार्यालय: द ग्रेड प्लाजा, प्लॉट नंबर-2, नेक्शन मंडेला रोड, संसत कुंज – फेज-II, नई दिल्ली – 110070, भारत
सीआईएन: L35911DL1984PLC017354 | **फोन:** +91-11-46044220 | **फैक्स:** +91-11-46044399
ई-मेल: secretarialho@heromotocorp.com | **वेबसाइट:** www.heromotocorp.com

43^व वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और लामार्थी की सूचना

- क. प्साद द्वारा सूचित किया जात है कि हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की **43^व वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 5 अगस्त, 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य स्था. माध्यम (आर्पीएम)** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उक्त अधिन क्त द्वारा एमिग्रा पब भारतीय प्रतिभूि एवं विनियम बोर्ड (सेबी)के अधिन वलित एवं प्रकटीकरण अधेशा, विनियम, 2015 (‘डिजिटल विनियम’) के लागू प्राधानों के साथ पडित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सं. 14/ 2020 के सामान्य परिचय संख्या 20/2020 तथा इस संबंध में सामय-समय पर जारी परवर्ती परिपत्रों, जिनमें नवीनता 22 सितंबर, 2025 का सामान्य परिचय संख्या 03/2025 भी सम्मिलित है, के अनुपालन में आयोजित की जाएगी, जहाँ एजीएम में निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जा सके।
- ख. डिजिटल विनियम तथा उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2025-26 की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट (Integrated Annual Report) तथा एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिनके ईमेल पते 3 जुलाई, 2026 तक डिजिटली प्रतिभागियों (डीपी)/ रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण अधिकारी (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। ये हस्तांतरण कंपनी की वेबसाइट www.heromotocorp.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड (एएसई) की वेबसाइट www.bseindia.com, नेगेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट www.nseindia.com तथा नेगेशनल सिक्क्योरिटीज डिजिटिजली लिमिटेड (एएसडीएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं। ईमेल के माध्यम से एजीएम की सूचना तथा तिथि एवं 2025-26 को एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट भेजने का काम शुरू करार, 10 जुलाई, 2026 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतिम लामार्थी की सूचना एवं एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु विक लिंक तथा क्यूआर कोड उपलब्ध कराने तथा एक पत्र उन सदस्यों को भी भेजा गया है, जिनमें अपने ईमेल पते रिपोर्ट/आर्पीएम के साथ पंजीकृत नहीं किए गए हैं। डीपी/आर्पीएम के माध्यम से बैठक में सम्मिलित होने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

ग. रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग

भौतिक या अनौपचारिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई-वोटिंग) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित मामलों व्यासविषय मतदान पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दर्ज सकते हैं। सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि:

- वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित कार्य रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
- रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि (कट-ऑफ तिथि) बुधवार, 29 जुलाई, 2026 है।
- रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी।
- रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 4 अगस्त, 2026 को प्रातः 5:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी।
- रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा मंगलवार, 4 अगस्त, 2026 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।
- ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम के दिन उन सदस्यों के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट नहीं डाला था।
- जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन बैठक में दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
- वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिजिटिजली द्वारा बनाए गए लामार्थी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि पर दर्ज है, केवल एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
- कोई भी व्यक्ति जो एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरूप भेजकर अथवा 022-48867000 पर कॉल करके एनएसडीएल के ई-वोटिंग पोर्टल तक पहुंचने के लिए लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा यूनजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
- भौतिक मॉड या अनौपचारिक मॉड में शेयर रखने वाले सदस्यों अथवा जिन्होंने डीपी/आरटीए के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना पत्र में प्रदान किया गया है, जो कंपनी की वेबसाइट के साथ-साथ बीएसई, एनएसई तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

घ. ईमेल पंजीकरण

ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका:

- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण और ईमेल पते निम्नलिखित लिंक पर जाकर पंजीकृत करवाएं: <https://ns.kfintech.com/clientseervices/csrfirms.aspx> अथवा हमारे आरटीए केफिन टेकनोलॉजीज लिमिटेड को inward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं।
- डिीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिजिटिजली प्रतिभागियों, जिनके पास उनका डीमैट खाता है, उनके साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अद्यतन करें।

ड. 43^व वार्षिक आम बैठक में भागीदारी तथा ई-वोटिंग संबंधी सहायता

रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग अथवा 43^{वीं} वार्षिक आम बैठक में भागीदारी से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य नीचे दिए गए हस्ताक्षरकर्ता को द ग्रेड प्लाजा, प्लॉट नंबर-2, नेक्शन मंडेला रोड, संसत कुंज – फेज-II, नई दिल्ली – 110070 पर लिख सकते हैं अथवा secretarialho@heromotocorp.com पर लिख कर सकते हैं या +91-11-46044220 पर संपर्क कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, ई-वोटिंग संबंधी प्रश्नों के लिए दस्यु www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुपालन में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) तथा ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं अथवा +91-22-48867000 पर कॉल कर सकते हैं या एनएसडीएल की उपस्थिति (Deputy Vice President) श्री पल्लवी महारी को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित शिकायतों का भी समाधान करती हैं।

क. लामार्थी

कंपनी ने शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को अंतिम लामार्थी हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि (Record Date) निर्धारित की है। यदि आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा अंतिम लामार्थी अनुमोदित किया जाता है, तो उसका भूतगत 4 सितंबर, 2026 तक रचा दिया जाएगा। लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, अब लामार्थी का भूतगत केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किया जाएगा तथा लामार्थी भूतगत के लिए प्येसल-पर-पार वॉट, केवल अथवा ड्राफ्ट जारी नहीं किए जाएंगे। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे लामार्थी सही अथवा ठीक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए अपने ईमेल आईडी, मॉडलर नंबर, हस्ताक्षर के नमूने तथा बैंक खाते का विवरण अनुरोध करार। यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं तो संबंधित डिजिटिजली प्रतिभागियों (डीपी) के साथ तथा यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं तो लामार्थी पर शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता (आरटीए) के साथ उक्त विवरण अद्यतन करें। उपरोक्त विवरणों को अद्यतन न करने की स्थिति में लामार्थी का प्रेषण नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, सेबी ने यह अनिवार्य किया है कि जिन सदस्यों के फंडिंगों में केवाईसी विवरण अद्यतन नहीं है, उन्हें लामार्थी का भूतगत संबंधित विवरण उपलब्ध करने के पश्चात् ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। अतः भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे 24 जुलाई, 2026 से पूर्व अपने केवाईसी विवरण कंपनी/आरटीए के साथ अद्यतन कर दें, ताकि लामार्थी का इलेक्ट्रॉनिक भूतगत सुचारु रूप से किया जा सके। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक अधिेश (Electronic Bank Mandate) अद्यतन करें। कृपया ध्यान दें कि डिजिटिजली प्रतिभागियों द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते के विवरण को डिजिटिजली के लागू विनियमों के अनुसार लामार्थी भूतगत के लिए प्राप्त माना जाएगा।

ख. भौतिक शेयरों के हस्तांतरण एवं डीमैटेरायजेशन हेतु विशेष विंडो (Special Window) की सूचना

सेबी के परिचय संख्या HO/38/13/11(2)/2026-MRSD-POD/3759/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुपालन में, कंपनी के शेयरधारकों को प्साद द्वारा सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व क्रय/विक्रय की गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण (Intransf) एवं डीमैटेरायजेशन (डीमैट) के लिए 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2022 तक की अवधि के लिए एक विशेष विंडो (Special Window) खोली गई है। यह विशेष विंडो उन हस्तांतरण अनुबंधों के लिए भी उपलब्ध होगी, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमी अथवा अन्य किसी कारण से अस्वीकृत अथवा वापस कर दिए गए थे।

कंपनी शेयरधारक अपने हस्तांतरण विवेक (Transfer Deed), मूल शेयर प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता (आरटीए) केफिन टेकनोलॉजीज लिमिटेड, सेतेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट संख्या 31, प्लॉट संख्या 32, फंडांनियत, नानकमंडाव, सेंट्रलिंगमण्डली, हैदराबाद, रामगोपुर, तेलंगाना, भारत – 500032 पर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा inward.ris@kfintech.com पर ईमेल भेज सकते हैं।

इस अवधि के दौरान हस्तांतरण हेतु पूरा: प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियां केवल डीमैटेरायजेशन (Dematerialized) स्वरूप में ही जारी की जाएगी तथा हस्तांतरण के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक लॉक-इन होगी। उक्त लॉक-इन अवधि के दौरान ऐसी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, प्रहणायिकार अंकिन अथवा गिरोची नहीं किया जा सकेगा।

इस विशेष अवधि के संबंध में विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.heromotocorp.com पर उपलब्ध है। यह सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी एवं विहितार्थ की जा रही है तथा यह एमसीए एवं सेबी द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुपालन में है।

43^व वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट देखने हेतु क्यूआर कोड स्कैन करें



कृते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड
प्रभाव सिंह
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

Ujjivan Small Finance Bank

दूसरी मंजिल, जीएफटीडी बिल्डिंग
डी-7, सेक्टर 3, नोएडा (उत्तर प्रदेश) - 201301

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत उजीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्राय 13(12) के तहत प्रदत्त शर्तियों के उपयोग में कर्जदार(रं)/जमानती(यों) से सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का पुनर्मुतादान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की थी।

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता के राशि के पुनर्मुतादान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शर्तियों के उपयोग यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथि पर **सांकेतिक कब्जा** कर लिया है। प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिचय में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रायधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार यहां नीचे प्रत्येक खाते के सम्मुख वर्णित राशियों तथा ध्यान एवं अन्य प्रभावों/व्यव्यों के लिए **उजीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार** के अधधीन होगा।

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	मांग सूचना के अनुरार राशि
(1) रवि कुमार पुत्र कर्मवीर उर्फ कर्मवीर, निवासी खेतौ लाला 220, खेरौलाला, गुडगांव, सोहना, हरद्वाना – 1221003; इसके अलावा- रवि कुमार पुत्र कर्मवीर उर्फ कर्मवीर, निवासी ग्र खेतौ लाला, तहसील सोहना, जिला गुडगांम, हरियाणा –1221020, जिला गुडगांम, हरियाणा –1221020;	यह सम्पत्ति 231 वर्ग मत्र जमीन (कुल 19 कनाल 7 मरत्ता जमीन में से 69/3483 हिस्सा) है, जो खाता/बैंक/ 98/101, चेरैंगन नंबर 26, किला नंबर 23 (8-0) और चेरैंगन नंबर 28, किला नंबर 2 (1-13), 3/1 (3-14), 3/2 (3-12), 4/1/1 (0-16), 8 (1-1), 14/1 (0-4), 15/1/1 (0-7) में शामिल है। यह सम्पत्ति बका नीचे डेब्टेरी लाला, तहसील सोहना, जिला गुडगांम, हरियाणा में स्थित है। इसके सिमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- कान सिंह; पश्चिम- रामकृष्ण; उत्तर- इंदरवार; दक्षिण- सड़क। यह सम्पत्ति रवि कुमार पुत्र कर्मवीर (यानी आप में से नंबर 1) की है।	07.04.2026	07.07.2026	रु. 9,74,741/- तक तथा उस पर व्याज
(2) इंदरा उर्फ इंद्रा पत्नी कर्मवीर उर्फ कर्मवीर, निवासी पोस्ट – लाला खेतौ, गांव लाला खेतौ, खेतौ लाला (220), गुडगांव, खेरौलाला, हरियाणा-122103;	यह सम्पत्ति 231 वर्ग मत्र जमीन (कुल 19 कनाल 7 मरत्ता जमीन में से 69/3483 हिस्सा) है, जो खाता/बैंक/ 98/101, चेरैंगन नंबर 26, किला नंबर 23 (8-0) और चेरैंगन नंबर 28, किला नंबर 2 (1-13), 3/1 (3-14), 3/2 (3-12), 4/1/1 (0-16), 8 (1-1), 14/1 (0-4), 15/1/1 (0-7) में शामिल है। यह सम्पत्ति बका नीचे डेब्टेरी लाला, तहसील सोहना, जिला गुडगांम, हरियाणा में स्थित है। इसके सिमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- कान सिंह; पश्चिम- रामकृष्ण; उत्तर- इंदरवार; दक्षिण- सड़क। यह सम्पत्ति रवि कुमार पुत्र कर्मवीर (यानी आप में से नंबर 1) की है।	07.04.2026	07.07.2026	रु. 9,74,741/- तक तथा उस पर व्याज

ध्यान खाता संख्या 221825050000017 नं०।

तिथि : 10.07.2026 **स्थान** : मुख्याम (हरियाणा)

अधिकृत प्राधिकारी

जेबीएम ऑटो लिमिटेड

(CIN: L74899HR1996PLC123264)

पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. 133, सेक्टर 24, फरीदाबाद - 121 005 (हरियाणा)
ई-मेल: secretarial.jbma@jbmgrou.com
वेबसाइट: www.jbmgrou.com
फोन: 129-4090200

नोटिस

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ) कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) प्राधिकरण में हस्तांतरण

कंपनी के शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124(6) के प्रावधानों और समय-समय पर संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और रिफंड) नियम, 2016 (नियम) के तहत एतद्वारा सूचित किया जाता है।

अधिनियम और नियमों में, अन्य बातों के अलावा, अवैतनिक / दावा न किए गए लामार्थी को आईपीएफ (IEPF) में स्थानांतरित करने और उन शेयरों को, जिनके संबंध में लामार्थी का भूगतान / दावा सात लगातार वर्षों या उससे अधिक समय से नहीं किया गया है, आईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित करने के प्रावधान शामिल हैं।। नियमों के तहत, संबंधित शेयरधारकों को उनको पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत रूप से सूचना भेजी गई है, जिनके शेयर आईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने हैं।
कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.jbmgrou.com पर उन संबंधित शेयरधारकों का पूरा विवरण उपलब्ध कर दिया है, जिनके लामार्थी सात लगातार वर्षों से दावा न किए गए हैं और जिनके शेयर आईपीएफ डीमैट खाते में हस्तांतरण के लिए लंबित हैं। संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने दावा न किए गए लामार्थी और आईपीएफ डीमैट खाते में हस्तांतरण के लिए उपरदायी शेयरों के विवरण की जांच करें।

शेयरधारक वित्तीय वर्ष 2018–19 के अपने अनक्लेरड लिडिबैंड का दावा कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यानी MCS शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को पूरा लिखकर कर सकते हैं। इसके लिए, निर्देशानुसार विधिवत भरें हुए इन्वेस्टर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म ISR–1, फॉर्म ISR–2 और फॉर्म न. SH–13 (निगमनियम फॉर्म) के साथ सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे। फिजिकल सिक्क्योरिटीज (भौतिक प्रतिभूतियों) के मामले में, खाताधारक का नाम दर्शाने वाला मूल कैंसिल चेक भी शामिल करना आवश्यक है। इन्वेस्टर रिक्वेस्ट फॉर्म हमारे RTA की वेबसाइट www.mcsregistrars.com पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में सिक्क्योरिटीज (शेयरों) के मामले में क्लार्डेंड मॉस्टर लिस्ट की कॉपी जमा करना अनिवार्य है। भूगतान उस बैंक खाते में किया जाएगा जो डीमैट खाते के साथ पंजीकृत (रजिस्टरी) है।

कृपया ध्यान दें कि आपसे अनुरोध है कि लामार्थी का दावा करने के लिए दस्तावेज 11 अक्टूबर, 2026 को या उससे पहले भेजे हैं। यदि उक्त तिथि तक लामार्थी का दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी नियमों के अनुसार, बिना किसी और नोटिस के, आपके द्वारा धारित शेयरों को आईपीएफ में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर देगी, जैसा कि नीचे दिया गया है।

- भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए** – आवश्यक औपचारिकाताओं के पूरा होने पर, मूल शेयर प्रमाणपत्र (पत्रों) के स्थान पर नए शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और उन्हें IEPF अधिनियम के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र (पत्रों) को रद्द और नष्ट-परकाम माना जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए** – कंपनी डिजिटिजली को कॉर्पोरेट कार्रवाई निष्पादित करने के लिए सूचित करेगी, जो आपके डीमैट खाते में मौजूद शेयरों को डीमैट कर देगी और उन्हें IEPF अधिनियम के पक्ष में स्थानांतरित कर देगी।

संबंधित शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि ऐसे शेयरों पर भविष्य में मिलने वाले सभी लाभ भी IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित लामार्थी (डिडिबैंड) और इक्विटी शेयरों की राशि के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि उनके लामार्थी और शेयरों के IEPF डीमैट खाते में हस्तांतरण की स्थिति में, वे IEPF प्राधिकरण से न केवल लामार्थी की राशि, बल्कि उन शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभों का भी दावा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निष्पत्ति रिपोर्ट – फॉर्म IEPF-5 में जानकारी अद्यतन करना होगा और फॉर्म की हस्ताक्षरित भौतिक प्रति (कंपनी के पास दर्ज नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) आवश्यक दस्तावेजों के साथ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजी होगी।

इस विषय पर किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, शेयरधारक कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, MCS शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड से 179–180, DSIDC रोड, तीसरी मंजिल, ओलावा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 के पते पर संपर्क कर सकते हैं या secretarial.jbma@jbmgrou.com पर ईमेल कर सकते हैं।

कृते जेबीएम ऑटो लिमिटेड

हस्ता./—
कंपनी सचिव और अनुपालना अधिकारी
सदस्यता सं. A-18087

सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक को सूचित किया जाता है कि श्री विजय कुमार चवला (व्यक्ति भी प्रेड कृष्ण चवला के माई) ने सीई-7, लॉक नंबर, दिल्ली में स्थित **डीएचई एनए**